कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0 ।

पत्रिपत्रांक 19 /बीज–उर्व0/बी–200(आ0)टी0सी/ दिनांक :लखनऊ : जून 6, 2017

1–समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबनधक,
सहकारिता, उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त सचिव/महा प्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0 ।
3–समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0 ।

विषय :– खरीफ अभियान 2017–18 में कृषि निवेशों की व्यवस्था के सम्बन्ध में विशा निर्देश।

खरीफ अभियान मे सहकारी समितियों के बिक्री केन्द्रों पर कृषि उर्वरको की उपलब्धता बनाये रखने तथा किसानो को आवश्यकतानुसार समय पर उर्वरक/बीज आदि कृषि निवेश वितरित करने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं जिसका कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाय :–

1 खरीफ 2017 हेतु यूरिया वितरण का लक्ष्य 9.83 लाख मै0टन तथा फास्फेटिक वितरण का लक्ष्य 2.64 लाख मै0टन निर्धारित कर आपको पूर्व ही जनपदवार लक्ष्य प्रेषित किया जा चुका है ।
2 जनपदों में बफर में पर्याप्त यूरिया व फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध है तथा एलोकेशन के अनुसार जनपदों में उर्वरक प्रेषित किया जा रहा है जिसे पीक समय से पूर्व तत्काल समितियों/बिक्री केन्द्रों में प्रेषित किया जाये।
3 उर्वरक व्यवस्था , समितियों/बिक्री केन्द्रो में उर्वरक उपलब्धता, तथा बिक्री मूल्य/निर्धारित दरों का पर्याप्त प्रचार–प्रसार जिलाधिकारी /जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से कराया जाय।
4 यह सुनिश्चित करें कि किसानों को सही दरो पर उर्वरक वितरण हो, ओवर रेटिंग व कालाबाजारी की समस्या की प्रभावी रोकथाम की जाये ।
5 समस्त बिक्री केन्द्र समय पर खुले रहें तथा सूचना पट पर प्रतिदिन उर्वरकों की उपलब्धता, रेट तथा समस्या के त्वरित निदान हेतु पूर्व निर्देशानुसार उच्चाधिकारियों के मोबाइल नं0 आदि का स्पष्ट रूप से अंकन किया जाए।
6 ए0डी0ओ/ए0डी0सी0ओ0, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक तथा उपायुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता लगातार समितियों/बिक्री केन्द्रों का भ्रमण, चेकिंग/निरीक्षण करते रहें। इस हेतु अधिकारियों के मध्य समितियों /बिक्री केन्द्रों का स्पष्ट आवंटन कर दिया जाये।
7 उर्वरक वितरण , बिक्री केन्द्रों पर अवशेष उर्वरक व अधिकारियों द्वारा केन्द्रों की चेकिंग /निरीक्षण की साप्ताहिक सूचना संलग्न प्रारूप पर ई–मेल द्वारा प्रेषित की जाय।

8 प्रत्येक माह की आवश्यकता के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पूर्व माह मे ही गुड फार पेमेण्ट के चेक पीसीएफ/परिवहन एजेन्सी को प्रेषित कर उसी माह के अन्त तक परिवहन/प्रेषण कराना सुनिश्चित करें।

9 उर्वरक वितरण मे मात्रा अथवा ऋण अथवा नकद का कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाय।

10 सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक व उपायुक्त एवं उप निबन्धक, यह सुनिश्चित करे कि जनपदों में सभी क्षेत्रों में उर्वरक आपूर्ति होती रहे तथा दूरस्थ समितियों में भी उर्वरकों की उपलब्धता बनी रहे।

11 वर्तमान परिवहन एजेन्सी परिवहन एवं रैक हैण्डलिंग सफलतापूर्वक नहीं करती हैं तो परिपत्रांक सी– 21 के अनुसार अन्य संस्थाओं से परिवहन कार्य कराया जाय। प्रत्येक जनपद मे सक्षम मार्केटिंग, डी०सी०डी०एफ०, जूट संघ, अथवा यू०पी०एस०एस० आदि संस्थाओं को परिवहन एजेन्सी बनाया जाय ताकि त्वरित परिवहन कराया जा सके।

12 अंश–"ख" के चेक सप्ताह में दो बार पूर्ण रूप से समायोजित कराये जायें, ताकि समिति की कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा रिक्त रहे और उर्वरक का प्रवाह निरन्तर बना रहे ।

13 निक्षेप प्रतिबन्धित जिला सहकारी बैंकों में जमा उर्वरक बिक्री धन अन्य भुगतान में डाईवर्ट न किया जाये, उससे पीसीएफ एवं प्रदायकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाये ।

14 आरकेवीवाई योजना के अन्तर्गत समितियों में उर्वरक आपूर्ति वितरण एवं बिक्री धन जमा पर सतत् निगाह रखी जाये तथा अधिकतम दो दिन के अन्दर बिक्री धन पीसीएफ खाते में जमा कराया जाय तथा समितियों में लगातार प्रेषण सुनिश्चित कराया जाये। केन्द्रों पर स्टाक की कमी किसी भी दिन न हो। उक्त समितियों से परिवहन न कराया जाये । परिवहन एजेन्सी ही उर्वरक प्रेषित करें।

15 आर०के०वी०वाई० की धनराशि से प्राप्त उर्वरक का मात्र नकद वितरण किया जाये । यदि सम्बन्धित डीसीबी आर०के०वी०वाई० से आच्छादित समितियों से अंश–ख के रुप में ऋण वितरण करना चाहते हैं तो वे अपने संसाधनों से समिति को 5–00लाख रु0 तक की कैश एण्ड कैरी ऋण सीमा स्वीकृत करें तथा समिति स्तर पर आर०के०वी०वाई० व कैश एण्ड कैरी की उर्वरक पृथक–पृथक गोदाम में रखी जाय।

16 खरीफ की धान फसल हेतु जिंकसल्फेट की अत्याधिक आवश्यकता व माँग होती है जिसकी पूर्ति इफको द्वारा की जा रही है । अतएव किसानों को जिंक का वितरण उनकी आवश्यकतानुसार अधिकाधिक मात्रा में किया जाये।

17 समितियों के माध्यम से किसानों को बायोफर्टिलाईजर, माईक्रो न्यूट्रिएन्ट, फास्फोजिप्सम एंव जलविलेय उर्वरक आदि अन्य कृषि निवेशो की उपलब्धता भी कराई जाये । इस हेतु समितियों से माँग प्राप्त कर इफको/कृभको से आपूर्ति प्राप्त की जाये। दरें पूर्व में जारी की जा चुकी है।

18 खरीफ अभियान के अन्त में 1–10–2017 का सत्यापन निर्धारित अवधि मे पूर्ण किया जाय। कृषि निवेशों के सत्यापन के समय सहकारी समितियों के स्टाक

रजिस्टर में वर्णित मात्रा से स्टाक कम पाये जाने पर सम्बन्धित से वसूली एवं उत्तरदायित्व निर्धारित कर समुचित कार्यवाही की जाये ।

19 सत्यापन में लम्बित पाई गई अंश–'ख' के चेकों का समायोजन कराने के साथ ही ब्याज के रूप में समितियों को हुई क्षति के लिए दायित्व निर्धारित कर उपरान्त वसूली सुनिश्चित की जाये ।

20 सत्यापन में उर्वरक वृष्टिबन्धक खातों में बैंक का लगा धन अधिक पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

21 कृषि क्रियाओं, उर्वरक उपयोग, कृषि रक्षा रसायन उपयोग, उन्नतशील बीज बायम, बायोफर्टीलाईजर, नीम प्रोडक्टस तथा माइक्रो न्यूट्रेन्ट आदि की जानकारी हेतु समिति कार्मिकों को, कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि विभाग के सहयोग से प्रशिक्षित कराया जाये, ताकि उन्हे बिक्री किये जा रहे कृषि निवेशो के बारे मे पूर्ण ज्ञान हो तथा वे किसानो को कृषि निवेशों के उपयोग के बारे मे जानकारी दे सकें।

(हरिराज किशोर)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ

परिपत्रांक 19 /बीज–उर्व0/बी–200(आ0)टी0सी0–2017–18/विनांकित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1– राज्य विपणन प्रबन्धक, इफ्को/कृभको, लखनऊ ।
2– प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ ।
3 प्रबन्ध निदेशक, सहकारी जूट संघ लि0 लखनऊ
4– समस्त अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।
5– अपर आयुक्त एंव अपर निबन्धक (कम्प्यू0)/वेबमास्टर, मुख्यालय को ईमेल एंव वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
6– कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
9– प्रमुख सचिव, (कृषि), उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
10– प्रमुख सचिव (सहकारिता) उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

उर्वरक वितरण साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक

क्रम सं0	नाम जनपद /मण्डल	पैक्स की संख्या	पैक्स के बिक्री केन्द्रों की संख्या	पैक्स के अतिरिक्त अन्य सहकारी बिक्री केन्द्रों की संख्या	कुल सहकारी बिक्री केन्द्रों की संख्या	यूरिया वितरण	फास्फेटिक वितरण	केन्द्रों पर अवशेष यूरिया	केन्द्रों पर अवशेष फास्फेटिक	पैसीएफ स्तर पर फास्फेटिक के लम्बित चेक/ अथारिटी मै एटनमै	साप्ताहिक चेकिंग की सूचना				क्रमिक चेकिंग की सूचना			
											उप निब0द्वारा की गई चेकिंग	सहा0 निब0 द्वारा की गई चेकिंग	एडीओ/ एडीसीओ व अन्य द्वारा की गई चेकिंग	अनियमितता पाये गये केन्द्रों की संख्या	उप निब0 द्वारा की गई चेकिंग	सहा0 निब0 द्वारा की गई चेकिंग	एडीओ/ एडीसीओ व अन्य द्वारा की गई चेकिंग	अनियमितता पाये गये केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15.	16	17	18	19
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
	मण्डल योग																	